न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 50/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.

पंजीकृत कार्यालयः– एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9–10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली– 110002

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **झबर सिंह पुत्र माधो सिंह**

   प्रथम पताः– वार्ड नं. 10, तारपुरा, सीकर नवलगढ रोड, तारपुरा हवाई पट्टी के पास, सीकर, राजस्थान–332024

   द्वितीय पताः– जे.एस.एस. कंसट्रक्शन, वार्ड नं. 10, तारपुरा सीकर, नवलगढ रोड, तारपुरा हवाई पट्टी के पास, सीकर, राजस्थान–332024

   तृतीय पताः– पट्टा नं. 65, 69, ग्राम पंचायत–तारपुरा, सीकर नवलगढ रोड, तारपुरा हवाई पट्टी के पास, सीकर, राजस्थान–332024

2. **रसल कंवर पत्नी माधो सिंह**

   प्रथम पताः– वार्ड नं. 10, तारपुरा, सीकर नवलगढ रोड, तारपुरा हवाई पट्टी के पास, सीकर, राजस्थान–332024

   द्वितीय पताः– 90, तारपुरा, सीकर नवलगढ रोड, तारपुरा हवाई पट्टी के पास, सीकर, राजस्थान–332024

   तृतीय पताः– पट्टा नं. 65, 69, ग्राम पंचायत–तारपुरा, सीकर नवलगढ रोड, तारपुरा हवाई पट्टी के पास, सीकर, राजस्थान–332024

3. **मनोहर सिंह पुत्र माधो सिंह**

   प्रथम पताः– वार्ड नं. 10, तारपुरा, सीकर नवलगढ रोड, तारपुरा हवाई पट्टी के पास, सीकर, राजस्थान–332024

   द्वितीय पताः– पट्टा नं. 65, 69, ग्राम पंचायत–तारपुरा, सीकर नवलगढ रोड, तारपुरा हवाई पट्टी के पास, सीकर, राजस्थान–332024

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 26 मई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **झबर सिंह पुत्र माधो सिंह, रसल कंवर पत्नी माधो सिंह** एवं **मनोहर सिंह पुत्र माधो सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **झबर सिंह पुत्र माधो सिंह** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्तियां जो कि निम्न प्रकार हैः–

i. **प्रथम बंधक अचल सम्पत्ति :– पटटा नं. 65, ग्राम पंचायत तारपुरा, तहसील व जिला–सीकर, राजस्थान 332024 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 86.11 वर्ग गज है, उक्त मकान की चारो सीमाओं के उत्तर दिशा में मनोहर सिंह** का मकान, दक्षिण दिशा में राजेन्द्र सिंह का मकान, पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में गुमान सिंह का मकान, स्थित है।

ii. **द्वितीय बंधक अचल सम्पत्ति :– पटटा नं. 69, ग्राम पंचायत तारपुरा, तहसील व जिला–सीकर, राजस्थान 332024 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 86.11 वर्ग गज है, उक्त मकान की चारो सीमाओं के उत्तर दिशा में में अमर सिंह का मकान, दक्षिण दिशा में झबर सिंह का मकान, पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में गुमान सिंह का मकान स्थित है।**

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल ₹8,32,908/–(अक्षरे रूपये आठ लाख बत्तीस हजार नौ सौ आठ)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **21.08.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.08.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **झबर सिंह पुत्र माधो सिंह, रसल कंवर पत्नी माधो सिंह** एवं **मनोहर सिंह पुत्र माधो सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **झबर सिंह पुत्र माधो सिंह** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्तियां जो कि निम्न प्रकार हैः–

i. **प्रथम बंधक अचल सम्पत्ति :– पटटा नं. 65, ग्राम पंचायत तारपुरा, तहसील व जिला–सीकर, राजस्थान 332024 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 86.11 वर्ग गज है, उक्त मकान की चारो सीमाओं के उत्तर दिशा में मनोहर सिंह का मकान, दक्षिण दिशा में राजेन्द्र सिंह का मकान, पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में गुमान सिंह का मकान, स्थित है।**

ii. **द्वितीय बंधक अचल सम्पत्ति :– पटटा नं. 69, ग्राम पंचायत तारपुरा, तहसील व जिला–सीकर, राजस्थान 332024 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 86.11 वर्ग गज है, उक्त मकान की चारो सीमाओं के उत्तर दिशा में में अमर सिंह का मकान, दक्षिण दिशा में झबर सिंह का मकान, पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में गुमान सिंह का मकान स्थित है।**

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **26 मई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर